



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244610
CG-DL-E-23032023-244610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1335]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945

No. 1335]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1388(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जनवरी, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 342(अ), तारीख 18 जनवरी, 2023 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के वलसाड जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् “द टाइम्स ऑफ इण्डिया”, तारीख 31 जनवरी, 2023 और “संदेश”, तारीख 31 जनवरी, 2023 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए वलसाड जिले में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम — वलसाड

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्राकृति	क्षेत्रफल हैक्टर में	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वलसाड	रोला	1264	निजी	गैर कृषि	0.0068	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1332	निजी	गैर कृषि	0.0073	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1343	निजी	गैर कृषि	0.0071	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1354	निजी	गैर कृषि	0.0067	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1409	निजी	गैर कृषि	0.0062	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1365	निजी	गैर कृषि	0.0058	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1376	निजी	गैर कृषि	0.0058	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1387	निजी	गैर कृषि	0.0054	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1263	निजी	गैर कृषि	0.0228	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			63	निजी	गैर कृषि	0.0228	मनुभाई आनंदभई अहीर (बलदानिया)
			1056	निजी	कृषि	0.0318	कोकिलाबेन प्रवीणभाई पटेल, गजराबेन कांजीभाई काशीबेन कांजीभाई प्रवीणभाई कांजीभाई कुसुम्बेन कांजीभाई, सुरेशभाई कांजीभाई, जगुरतीबेन मुकेशभाई पटेल, टीनाबेन कांजीभाई, मोहनी मुकेशभाई, मीत मुकेशभाई पटेल अनीताबेन कांजीभाई
			1057	निजी	कृषि	0.0279	ननीबेन मणिलाल पटेल, गुनवंतभाई भीखाभाई पटेल, जशुबेन भीखाभाई पटेल, बाबूभाई मणिलाल पटेल, पार्वतीबेन मणिलाल पटेल, ज्योतिबेन मणिलाल पटेल, अनीताबेन चंपक भाई पटेल, कृपेश चंपकभाई पटेल, दिव्य चंपकभाई पटेल
2		जेसपुर	824	निजी	गैर कृषि	0.0115	देवसीभाई नरनभाई पटेल, हितेश कुमार देवसीभाई पटेल

			825	निजी	कृषि	0.0153	दौलतभाई कीकूभाई
			826	निजी	कृषि	0.0080	गजराबेन कांजीभाई, काशीबेन कांजीभाई, प्रवीणभाई कांजीभाई, कुसुम्बेन कांजीभाई, सुरेशभाई कांजीभाई, मुकेशभाई कांजीभाई, टीनाबेन कांजीभाई।
			827	निजी	कृषि	0.0024	पालिबेन जेरमभाई, भीखूभाई जेरमभाई, मोतीलाल जेरमभाई, विनोदभाई जेरमभाई, मेनीबेन जेरमभाई, गुलबीबेन जेरामभाई, लीलाबेन जेरामभाई, दिनकरभाई जेरामभाई सविताबेन ते छगनभाई प्रेमभाई की विधवा अमृतलाल छगनभाई, मधुबेन छगनभाई दीपकभाई छगनभाई, हंसाबेन छगनभाई उषाबेन छगनभाई छगनभाई, दकिशा बेन छगनभाई

[फा. सं. 2023 / एलएमएल-II / 12 / 1 / ईसी / 2388]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2023

S.O. 1388(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 342(E), dated the 18th January, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 20th January, 2023 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Valsad in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification was published in the daily local newspapers namely, "The Times of India" dated the 31st January, 2023 and "Sandesh" dated the 31st January, 2023 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objection has been received by Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railway 1989 Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the Act the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in Valsad district in the State of Gujarat.

Name of the District – Valsad

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the village	Survey/Block Number	Type of land	Nature of land	Area in Hectares	Name of the land owner/interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valsad	Rola	1264	Private	Non-Agriculture	0.0068	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1332	Private	Non-Agriculture	0.0073	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1343	Private	Non-Agriculture	0.0071	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1354	Private	Non-Agriculture	0.0067	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1409	Private	Non-Agriculture	0.0062	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1365	Private	Non-Agriculture	0.0058	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1376	Private	Non-Agriculture	0.0058	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1387	Private	Non-Agriculture	0.0054	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1263	Private	Non-Agriculture	0.0228	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			63	Private	Non-Agriculture	0.0228	Manubhai Anandbhai Ahir (Baldaniya).
			1056	Private	Agriculture	0.0318	Kokilaben Pravinbhai Patel, Gajrabhai Kanjibhai Kashiben Kanjibhai Pravinbhai Kanjibhai Kusumben Kanjibhai, Sureshbhai Kanjibhai, Jagurtiben Mukeshbhai Patel, Tinaben Kanjibhai, Mohani Mukeshbhai, Mit Mukeshbhai Patel Anitaben Kanjibhai.
			1057	Private	Agriculture	0.0279	Naniben Manilal Patel, Gunwantbhai Bhikhabhai Patel, Jashuben Bhikhabhai Patel, Babubhai Manilal Patel, Parvatiben Manilal Patel, Jyotiben Manilal Patel, Anitaben Champak Bhai Patel, Kripesh Champakbhai Patel, Divya Champakbhai Patel.
2.		Jashpore	824	Private	Non-Agriculture	0.0115	Devasibhai Naranbhai Patel, Hitesh Kumar Devasibhai Patel.
			825	Private	Agriculture	0.0153	Daulat Bhai Kikubhai.
			826	Private	Agriculture	0.0080	Gajrabhai Kanjibhai, Kashiben Kanjibhai, Pravinbhai Kanjibhai, Kusumben Kanjibhai, sureshbhai Kanjibhai, Mukeshbhai Kanjibhai, Tinaben Kanjibhai.
			827	Private	Agriculture	0.0024	Paliben Jerambhai, Bhikhubhai Jerambhai, Motilal Jerambhai, Vinodbhai Jerambhai, Meniben

							Jerambhai, Gulbiben Jerambhai, Lilaben Jerambhai, Dinakarbhai Jerambhai, Savitaben te Chhaganbhai Prembhai's widow, Amritlal Chhaganbhai, Madhuben Chhaganbhai, Deepakbhai Chhaganbhai, Hansaben Chhaganbhai, Ushaben Chhaganbhai, Dakshaben Chhaganbhai.
--	--	--	--	--	--	--	---

[F. No. 2023/LML-II/12/1/WC/2388]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)